निषेधाज्ञा आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र साबित नही होता तथा सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में नही है इस कारण अपूर्णीय क्षति भी कारीत होने की सम्भावना नही है। उक्त विवेचन से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत रास्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 13/08/2021 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:04:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner